


26-3-2021

वकील फिलेकेण उपस्थित । निर्णय पुधक छि लिख्य
जाम शासित पत्ता वकीलिया जया निर्णय कनु सार
पय दिव्यी जाये हो पत्रावली फेवल शुमार होकर
नम्बर से कम होकर वाय तकरीब दारिखत
इफर हो


उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली

मु0न0

आर.सी.एम.एस.नं.

ता0 रजू

51/09

2009/00022

25.06.09

पीठासीन अधिकारी:—श्री देवेन्द्र सिंह परमार आर.ए.एस.

सनवान

पंच कडेरा न समाज करौली जरिये

1. मुरारी पुत्र कुन्नु
2. रामदयाल पुत्र भिश्मरा

जाति कडेरा निवासी सायनाथ खिडकिया बाहर करौली तहसील व जिला करौली राज. — वादीगण

बनाम

1. अब्दुल अजीज पुत्र वशीर
2. शकीर
3. शहीद पुत्रान अब्दुल अजीज
4. वहीद

जाति मुसलमान निवासीयान वजीरपुर गेट बाहर करौली तहसील व जिला करौली राज.

— प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट

निर्णय

दिनांक 26.03.2021

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण ने यह वादपत्र इस आशय में प्रस्तुत किया है कि पंच कडेरा समाज करौली की खातेदारी व कब्जे कशत की भूमि ख0नं0 4859, 4860 कुल कित्ता 2 कुल रकवा 11 विस्वा शहर करौली में स्थित है यह दावा वादीगण द्वारा पंच कडेरा समाज की ओर से उनके हितार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है समस्त समाज का पक्षकार बनाया जाना सम्भव नहीं है सभी समाज के व्यक्तियों ने हम वादीगण को वा पेश करने के लिए अधिकृत कर दिया है इसलिए समस्त समाज की ओर से यह दावा तौर प्रतिनिधि पेश किया जा रहा है जिसमें हम वादीगण का कोई एडवर्स इन्टरेस्ट नहीं है इसके लिये ओ0 1 रूल 8 का पृथक से प्रार्थना पत्र पेश कर न्यायालय से अनुमति प्राप्त की गयी है उपरोक्त आराजीयात से अन्य किसी दीगर व्यक्ति का कोई ताल्लुक व सरोकार ही है आराजीयात के बगल में प्रतिवादीगण की आराजीयात ख0नं0 4911, 4911/9756 स्थित है। प्रतिवादीगण का इरादा वादीगण की उक्त आराजीयात में से 10-12 फुट जमीन को बाते हुए पुख्ता दीवार निर्माण कराने का है जिसके लिए वह आज मौके पर कारीगर को ले गये और वादीगण की जमीन के अन्दर दीवार निर्माण करने के लिए कारीगरों से नींव बुदवाना चालू किया। इस पर हम वादीगण ने कहा कि यह जमीन हमारी है आप यहां नींव त खुदवाओ इस पर प्रतिवादीगण एकदम नाराज हो गये और आज दिनांक 25.06.2009 को लानिया धमकी दी है कि हम जबरन तुम्हारी जमीन के अन्दर तुम्हारी जमीन दबाते हुये दीवार निर्माण कराकर रहेंगे। तुम्हारी इच्छा से वहां पुकारों प्रतिवादीगण के इस कृत्य से इकूक वादी पर भारी कुठाराघात है। इसलिये वादीगण प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से बाबन्द कराने के अधिकारी हैं। दावा अन्दर न्याय पेश है। अन्त में दावा ड्रिकी किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादीगण को जरिये वकील उपस्थित होकर जबाब दावा प्रस्तुत कर वादीगण को वाद पक्ष को अस्वीकार करते हुये कथन किया है कि वादग्रस्त आराजीयात पंच कंडेरा समाज के खातेदारी व कब्जेकाशत की नहीं है ना ही उक्त आराजी पर वादीगण का कोई कब्जा है। वादीगण ने समाज के हितार्थ दावा पेश नहीं किया ना ही वादीगण समाज की ओर से दावा पेश करने के अधिकृत है। वादीगण विवादित भूमि में व्यक्तिगत तौर पर इन्स्टेस्टेड है। और समाज के विपरीत हित रखते है वादीगण ने विवादित भूमि को पूर्व में खुद बुर्द कर दिया है व भकान तामीर करवा दिये है वादीगण ने आदेश नियम 4 की पालना भी नहीं की है खसरा नं० 4911, 4911/9756 प्रतिवादीगण के खातेदारी व कब्जे काशत की होना स्वीकार है। प्रतिवादीगण ने वादीगण की आराजीयात के 10-12 फीट भूमि अथवा 1 इंच की भूमि को दवाते हुये कोई दीवार निर्माण की है। ना ही प्रतिवादीगण का ऐसा करने का कोई इरादा रहा है। वादीगण ने महज रंजीश के आधार पर झूठी एवं काल्पनिक तथ्यों का अभिवचन करते हुये दावा प्रस्तु किया है। प्रतिवादी ने दिनांक 25.06.2003 अथवा अन्य किसी दिवस को कोई धमकी वादीगण को नहीं दी है। वादीगण ने झूठा वाद कारण करने के उद्देश्य से उक्त तथ्य दावा में दर्ज किया है। उक्त भूमि कृषि भूमि नहीं है। भूमि गैर-मुमकिन आबादी है। जिसमें मौके पर ही आबादी कायम है। तथा चारो ओर भी आबादी विकसित है भौतिक व रिकॉर्ड की स्थिति के अनुसार भूमि आबादी होने से विवाद भूमि के संबंध में न्यायालय हाजा को श्रवणाधिकार नहीं है। और दावा सिविल न्यायालय के प्राधिकार होने से वादपत्र आदेश 7 नियम 11 (डी) सी.पी.सी. के तहत खारिज किये जाने योग्य हैं भूमि के किस दिशा की ओर 10-12 फुट जमीन को दवाते हुये वाउण्ड्री निर्माण की धमकी दे रहे है। और उक्त दिशा की ओर भूमि की लम्बाई चौड़ाई कितनी है दवादाारी वेज तथ्यों पर आधारित है प्रतिवादीगण की भूमि का लेविल वादीगण की भूमि से ऊँचा है दोनो भूमियों का लेविल समान नहीं है वादीगण की भूमि से ऊँचा है दोनो भूमियों का लेविल समान नहीं है वादीगण हम प्रतिवादीगण के कब्जे की भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहते है इसी उद्देश्य से वादीगण ने प्रतिवादीगण पर दवाव बनाने के लिए झूठे तथ्यों के आधार पर यह दावा प्रस्तुत किया है। अन्त में दावा वादीगण खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वादीगण व प्रतिवादीगण के अभिवचनों के आधार पर निम्न विवाधक बिंदू विरचित किये गये है।

1. आया वादीगण की आराजीयात ख०नं० 4859, 4860 रकवा 11 विस्वा वाके हार करौली में प्रतिवादीगण किसी प्रकार का निर्माण कार्य न तो स्वयं करे न किसी अन्य से कराने तथा वादीगण के कब्जे काशत में किसी प्रकार की मदाखलत मजाहमत न तो स्वयं करे न करावें। वादी
2. आया विवादित आराजीयात ख०नं० 4859, 4860 वादीगण के कब्जे काशत व खातेदारी की भूमि नहीं है विवादित भूमि गै०मु० आबादी है अतः आबादी भूमि होने से विवादित भूमि के सम्बन्ध में न्यायालय हाजा का क्षेत्राधिकार नहीं है इसी आधार पर वाद खारिज प्रतिवादीगण किये जाने योग्य है।

3. अनुतोष

वाद विवाधक वादीगण साक्ष्य ली गयी वादीगण ने अपनी मौखिक साक्ष्य में वादी पw1 रामदयाल के मौखिक बयान लेखवध कराये है एवं दस्तावेजी सबूत में जमाबन्दी सम्बत् 2064 से 2067 को प्रदर्शित कराया है। साक्ष्य वादीगण बन्द की गयी।

प्रतिवादीगण द्वारा कई अवसर साक्ष्य के लिये जाने के उपरान्त कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने पर दिनांक 25.01.2021 को साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द की गई।

वहस वकील उभय पक्ष सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील वादीगण का वहस में कथन है कि वादग्रस्त आराजीयात स्थित करवा करौली पंच कंडेरा समाज के खातेदारी व कब्जे की है वादीगण द्वारा पंच कंडेरा समाज के हितार्थ एवं समाज की ओर से दावा पेश करने को अधिकृत है समस्त समाज का पक्षकार बनाना सम्भव नहीं होने दावा वतौर प्रतिनिधि न्यायालय हाजा से आदेश 1 नियम 8 सी.पी.सी. की इजाजत लेकर प्रस्तुत किया है वादग्रस्त भूमि से प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध नहीं है। ख०नं० 4911, 4911/9756 है दि० 25.06.09 को प्रति वादीगण वादीगण की भूमि में से 10-12 फीट भूमि को दवाते हुये पुख्ता दीवाल निर्माण करने को कारीगरो को लेकर भूमि में नीव खुदवाना चालू

या वादीगण ने प्रतिवादीगण से वादीगण की भूमि में निर्माण नहीं करने की कहा तो वह राज हो गये और ऐलानिया धमकी दी की हम तो निर्माण जबरन करेंगे चाहे जहाँ पुकारो ब वादीगण ने यह दावा पेश किया है प्रतिवादीगण के इस कृत्य से हक-हकूक वादीगण पर आघात है इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के हकदार है वादा वादीगण झिकी किया जावे।

वकील प्रतिवादीगण का बहस में कथन है कि वादग्रस्त भूमि वादीगण के खातेदारी व कब्जे की नहीं है भूमि मे मकान तामीर हो चुके है भूमि गैर मुमकिन आवादी है वादीगण की भूमि से प्रतिवादीगण की भूमि का लेविल ऊँचा है। वादीगण की एक इंच भूमि को दबा कर दीवाल निर्माण नहीं की है ना दीवाल निर्माण करने का इरादा है भूमि आवादी भूमि होने से न्यायालय हाजा को वाद सुनवाई का अधिकार नहीं है। दावा वादीगण ने प्रतिवादीगण की जमीन को दबाने को झूठे तथ्यों पर प्रस्तुत किया है। दावा वादीगण खारिज किया जावे।

बहस वकील फरीकेन का मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी प्रदर्श-1 व साक्ष्य वादी pw1 रामदयाल का विवेचन किया गया प्रकरण का तनकीवार विवेचन किया जाना उचित है तनकी वार विवेचन निम्न प्रकार है:-


विवाधक संख्या 01 को साबित करने का भार वादीगण पर है। वादीगण ने इस सम्बन्ध में वादी pw1 रामदयाल का बयान लेखबध करायाय है जिसमें उसने भूमि वादग्रस्त को पंच कंडेरा समाज करौली के खातेदारी व कब्जे की होना प्रतिवादीगण का भूमि से कोई सम्बन्ध नहीं होना कथन किया है और जमाबन्दी सम्वत् 2064 से 2067 प्रदर्श-1 में वादग्रस्त भूमि पंच कंडेरा समाज के नाम खातेदारी में दर्ज होना बताया है जिसके खण्डन में प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य व दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है। वादी रामदयाल ने वादग्रस्त भूमि के अन्दर 10-12 फीट भूमि को दबाकर नीव खुदाई का हडपना बताया है। ऐसी स्थिति में विवाधक सं0 01 वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विक्रय तय कर निर्णीत किया जाता है।

विवाधक सं0 02 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है प्रतिवादीगण द्वारा इस सम्बन्ध में कोई साद्वय व दस्तावेजी सबूत पेश पत्रावली में नहीं किया है जिससे वादग्रस्त भूमि गै0मु0 आवादी भूमि हो जबकि जमाबन्दी प्रदर्श-01 में भूमि कृषि भूमि ही दर्ज है और कृषि भूमि का वाद न्यायालय हाजा को ही सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। अतः विवाधक सं0 02 प्रतिवादीगण के विक्रय वादीगण के पक्ष तय कर निर्णीत किया जाता है।

विवाधक सं0 03 अनुतोष है विवाधक सं0 01 व 02 विवेचन है वादग्रस्त आराजीयात वादीगण पंच कंडेरा समाज करौली के खातेदारी की होना प्रदर्श-जमाबन्दी सम्वत् 2064 से 2067 से साबित है यदि प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी भूमि में निर्माण किया जाता है तो वादीगण के हक-हकूक प्रभावित होंगे जिससे वादीगण को अपूर्ण्य क्षति व असुविधा होगी वादीगण अपने खातेदारी भूमि से वंचित होंगे वादीगण प्रतिवादीगण के विक्रय स्थायीह निषेधाज्ञा प्राप्त करने के हकदार है दावा वादीगण झिकी किये जाने योग्य है।

अतः दावा वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण झिकी किया जाता है। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से शाश्वत काल तक पाबन्द किया जाता है। कि वह आराजी ख0नं0 4859 रकवा 1 विस्वा व ख0नं0 4860 रकवा 10 विस्वा करौली पटवार हल्का नं0 9 तह0 करौली में किसी प्रकार का निर्माण कार्य ना तो स्वयं करे ना ही किसी अन्य से करावे एवं वादीगण के कब्जे मे किसी प्रकार मदाखतलत मजाहमत ना तो स्वयं करे ना किसी अन्य से करावे। खर्चा पक्ष कारान अपना-अपना वहन करेंगे। तदानुसार पर्चा झिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26.03.2021 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।


(देवेन्द्र सिंह परमार)
उपखण्ड अधिकारी
करौली